

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री रंजन प्रसाद पिता- अनिल प्रसाद साव, ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 118 प्लॉट सं. 2305, खाता सं. 139 के अधीन प्लॉट सं. 211, 506, 579, 583, 1127, 1531, 517 एवं 567, खाता सं. 143 प्लॉट सं. 780/2701 एवं 855. ग्राम- आरा, थाना सं. 55 (रैयती भूमि) खाता सं. 89. के अधीन प्लॉट सं. 1619, कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 118 प्लॉट सं. 2305, खाता सं. 139 के अधीन प्लॉट सं. 211, 506, 579, 583, 1127, 1531, 517 एवं 567, खाता सं. 143 प्लॉट सं. 780/2701 एवं 855. ग्राम- आरा, थाना सं. 55 (रैयती भूमि) खाता सं. 89. के अधीन प्लॉट सं. 1619, कुल रकबा - 02.00 एकड़ को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

पिशा कुमार्  
१८/०७/२०२२